

[2024] 10 SCR 37: 2024 INSC 720

रबू @ सर्वेश

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

[आपराधिक अपील संख्या 449-450/ 2019]

12 सितंबर 2024

[न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा

और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन]

विचारणीय बिंदु

अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 450, 376(2)(i), 376 डी, 376 ए और 302 के साथ-साथ धारा 34 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो) की धारा 5(जी)/6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और धारा 376 ए और 302 के तहत मृत्युदंड और धारा 376 डी के तहत आजीवन कारावास और धारा 450 के तहत 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

शीर्ष टिप्पणियाँ †

दंड संहिता, 1860 – धारा 450, 376(2)(i), 376D, 376A और 302 r/w. धारा 34 – लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 – धारा 5(g)/6 – अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि यह मामला तीन मृत्युपूर्व कथनों और एक डीएनए रिपोर्ट पर आधारित है – मृत्युपूर्व कथन असंगत थे और डीएनए रिपोर्ट में तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति का संकेत दिया गया था – यह भी तर्क दिया गया कि यह 'दुर्लभतम में से दुर्लभतम' मामला नहीं था:

निर्णय: अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से यह पाया गया कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट (नायब तहसीलदार), अ.सा.-11 द्वारा दर्ज किया गया मृत्यु पूर्व कथन, जिसे अ.सा.-9-डॉक्टर द्वारा समर्थन दिया गया था, विश्वसनीय और भरोसेमंद है। - अ.सा.-11 द्वारा दर्ज किया गया मृत्यु पूर्व कथन प्रश्न-उत्तर के रूप में है। - उक्त मृत्यु पूर्व कथन में मृतिका ने स्पष्ट रूप से वर्तमान अपीलकर्ता को दोषी ठहराया है। - चिकित्सा अधिकारी, अ.सा.-9 ने मृत्यु पूर्व कथन के आरंभ से पहले मृतिका की मानसिक स्थिति के बारे में समर्थन दिया है और मृत्यु पूर्व कथन के अंत में उन्होंने फिर से समर्थन दिया है कि मृतिका मानसिक रूप से स्वस्थ थी। - लिखित मृत्यु पूर्व

कथन की पुष्टि मौखिक मृत्यु पूर्व कथन से होती है, जैसा कि उसके दादा (अ.सा.-1), उसके दादा के भाई (अ.सा.-2), उसकी चाची (अ.सा.-13) और उसके चाचा (अ.सा.-14) के साक्ष्य में अभिलेख पर आया है। - उक्त मृत्यु पूर्व कथन में सभी मृतिका के मानसिक स्थिति के बारे में समर्थन दिया गया है। साक्षियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतिका ने आग की लपटों में कमरे से बाहर आने के बाद अपीलकर्ता द्वारा अपराध कारित करने की घटना बताई है - मृतिका का बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन भी करता है - अपीलकर्ता की दोषसिद्धि में कोई त्रुटि नहीं है - जहां तक प्रश्न है कि क्या वर्तमान मामला 'दुर्लभतम में से दुर्लभतम मामले' की श्रेणी में आता है, वर्तमान मामले में, यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलकर्ता समाज के सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े तबके से आता है - उसने कम उम्र में ही अपनी मां और भाई को खो दिया - अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है - उक्त घटना के समय अपीलकर्ता की उम्र 22 वर्ष थी - यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता एक कठोर अपराधी है, जिसे सुधारा नहीं जा सकता - यदि अपीलकर्ता को सुधार का मौका दिया जाता है, तो उसके सुधार की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता - मामले को देखते हुए, मृत्युदंड की पुष्टि उचित नहीं होगी- मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, मृत्युदंड को 20 वर्ष की अवधि के लिए बिना किसी परिहार के निश्चित कारावास में लघुक्रत किया जाना चाहिए। [पैरा 7, 8, 15, 16, 18]

उद्धृत न्यायदृष्टान्त

शिवू और अन्य बनाम रजिस्ट्रार जनरल, कर्नाटक उच्च न्यायालय और अन्य [2007] 2 एससीआर 555: (2007) 4 एससीसी 713: (2007) आईएनएससी 136; पुरुषोत्तम दशरथ बोराटे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य [2015] 5 एससीआर 1112: (2015) 6 एससीसी 652: (2015) आईएनएससी 392; दीपक राय बनाम बिहार राज्य [2013] 14 एससीआर 297: (2013) 10 एससीसी 421: (2013) आईएनएससी 638; स्वामी श्रद्धानंद (2) उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा बनाम कर्नाटक राज्य [2008] 11 एससीआर 93: (2008) 13 एससीसी 767: (2008) आईएनएससी 853; शंकर किसनराव खांडे बनाम महाराष्ट्र राज्य [2013] 6 एससीआर 949: (2013) 5 एससीसी 546: (2013) आईएनएससी 281; गांधी डोड्डाबसप्पा उर्फ गांधी बसवराज बनाम कर्नाटक राज्य [2017] 2 एससीआर 62: (2017) 5 एससीसी 415; प्रकाश धवल खैरनार (पाटिल) बनाम महाराष्ट्र राज्य [2001] पूरक। 5 एससीआर 612: (2002) 2 एससीसी 35: 2001 आईएनएससी 606; मोहिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य [2013] 3 एससीआर 90 : (2013) 3 एससीसी 294 : (2013)

आईएनएससी 61; मदन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [2023] 16 एससीआर 765 : (2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 1473; नवास @ मुलनावास बनाम केरल राज्य [2024] 3 एससीआर 913: (2024) एससीसी ऑनलाइन एससी 315: 2024 आईएनएससी 215 - संदर्भित।

उद्धृत न्यायदृष्टान्त

दंड संहिता, 1860; यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012।

विशिष्ट शब्द (की-वर्ड) की सूची

आईपीसी की धारा 450; आईपीसी की धारा 376(2)(i); आईपीसी की धारा 376 डी; आईपीसी की धारा 376 ए; पोक्सो की धारा 5(जी)/6; मृत्यु पूर्व कथन; दुर्लभतम मामला; मृत्यु दंड; सामाजिक-आर्थिक स्तर पिछड़ा; छूट।

किससे उद्धृत मामला

आपराधिक अपील की क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 449-450 वर्ष 2019

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जबलपुर स्थित मुख्य पीठ के दिनांक 17.01.2019 के निर्णय एवं आदेश से, सीआरएलआर संख्या 12 वर्ष 2018 एवं सीआरएलए संख्या 6748 वर्ष 2018

पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण

एन. हरिहरन, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री श्रेया रस्तोगी, भावेश सेठ, एम.ए. नियाजी, सुश्री जहरा खान, सुश्री अनौता शंकर, शरियान मुखर्जी, सुश्री सना सिंह, सुश्री पुण्य रेखा अंगारा, सलाहकार।
अपीलकर्ता के लिए

भूपेन्द्र प्रताप सिंह, डी.ए.जी., सुश्री मृणाल गोपाल एल्कर, अभिमन्यु सिंह, अभिनव श्रीवास्तव, सलाहकार। प्रतिवादी के लिए

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

बीआर गवई, जे.

1. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एन. हरिहरन और मध्य प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री भूपेन्द्र प्रताप सिंह को सुना गया।

2. ये अपीलें मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय, जबलपुर की युगल पीठ द्वारा पारित दिनांक 17.01.2019 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुई हैं, जिसमें अपीलकर्ता की अपील को खारिज कर दिया गया और प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बीना, जिला सागर (जिसे "विचारण न्यायालय के न्यायाधीश" कहा जाएगा) द्वारा पारित दिनांक 20.08.2018 के निर्णय और आदेश की पुष्टि की गई, इस प्रकार, अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में, 'आईपीसी') की धारा 450, 376 (2) (आई), 376 डी, 376 ए और 302 के साथ 34 और लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षेप में, 'पोक्सो') की धारा 5(जी)/6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और धारा 376 ए और 302 आईपीसी के तहत मृत्युदंड और धारा 376 डी के तहत आजीवन कारावास और आईपीसी की धारा 450 के तहत 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

3. श्री हरिहरन ने दलील दी है कि वर्तमान मामला मूल रूप से तीन मृत्यु पूर्व कथनों और डीएनए रिपोर्ट पर आधारित है। उन्होंने दलील दी है कि मृत्यु पूर्व कथन असंगत हैं। उन्होंने आगे दलील दी है कि समय बीतने के साथ मृत्यु पूर्व कथनों में सुधार हुआ है। इसलिए उन्होंने दलील दी है कि वर्तमान मामले में मृत्यु पूर्व कथनों की सत्यता ही संदिग्ध है और इसलिए उक्त मृत्यु पूर्व कथनों के आधार पर दोषसिद्धि नहीं हो सकती। उन्होंने आगे दलील दी है कि डीएनए रिपोर्ट भी तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी की ओर इशारा करती है। ऐसी स्थिति में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी है कि दोषसिद्धि का आदेश बरकरार नहीं रखा जा सकता।

4. श्री हरिहरन ने वैकल्पिक रूप से कहा कि वर्तमान मामला 'दुर्लभतम' में से 'दुर्लभतम' मामला नहीं है, जो मृत्युदंड देने को उचित ठहराए। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ता को दोषी ठहराने और मृत्युदंड का आदेश एक साथ दिया गया था। उन्होंने कहा कि विद्वान विचारण जज ने भी मृत्युदंड देते समय कम करने वाली परिस्थितियों और गंभीर परिस्थितियों के बीच संतुलन पर विचार नहीं किया। इसलिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि यदि यह न्यायालय दोषसिद्धि के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता ने कम उम्र में अपनी मां और भाई को खो दिया था, अपीलकर्ता की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि और अपराध के समय अपीलकर्ता की आयु तथा जेल में उसका आचरण और व्यवहार उसे सजा में लघुकरण का हकदार बनाता है।

5. इसके विपरीत, विद्वान उप महाधिवक्ता (डीएजी) श्री भूपेंद्र प्रताप सिंह ने दलील दी है कि विद्वान विचारण जज और उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों की साराहना करते हुए सही निष्कर्ष निकाला है कि वर्तमान अपीलकर्ता अपने किए गए अपराधों के लिए दोषी है। इसलिए उन्होंने दलील दी है कि वर्तमान अपीलों में किसी तरह का हस्तक्षेप उचित नहीं है।

6. जहां तक अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा सजा में कटौती के संबंध में की गई प्रार्थना का संबंध है, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान डीएजी शिवू और अन्य बनाम रजिस्ट्रार जनरल, कर्नाटक उच्च न्यायालय और अन्य¹, पुरुषोत्तम दशरथ बोराटे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य², और दीपक राय बनाम बिहार राज्य³ के मामलों में इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा करते हैं , यह तर्क देने के लिए कि केवल अपीलकर्ता की उम्र को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता ने उन परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए कि मृतिका घर में अकेली थी, जघन्य अपराध किया है और इसलिए वर्तमान मामला पूरी तरह से 'दुर्लभतम' में से 'दुर्लभतम' मामलों की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट से भी पता चलेगा कि अपीलकर्ता ने कोई पश्चाताप व्यक्त नहीं किया है। इसलिए उन्होंने कहा कि इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, मृत्युदंड की पुष्टि की जानी चाहिए।

7. हमने अभिलेख पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया है और पाया है कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट (नायब तहसीलदार), अ.सा.-11 द्वारा दर्ज किया गया मृत्यु पूर्व कथन, जिसे डॉ. अविनाश सक्सेना, अ.सा. -9 द्वारा समर्थन दिया गया था, विश्वसनीय और भरोसेमंद है। अ.सा.-11 द्वारा दर्ज किया गया मृत्यु पूर्व कथन प्रश्न-उत्तर के रूप में है। उक्त मृत्यु पूर्व कथन में मृतिका ने स्पष्ट रूप से वर्तमान अपीलकर्ता को दोषी ठहराया है। चिकित्सा अधिकारी, अ.सा.-9 ने मृत्युपूर्व कथन की शुरुआत से पहले मृतिका की मानसिक स्थिति के बारे में पुष्टि की है और मृत्युपूर्व कथन के अंत में उन्होंने फिर से पुष्टि की है कि मृतिका मानसिक रूप से स्वस्थ थी। लिखित मृत्युपूर्व कथन की पुष्टि मौखिक मृत्युपूर्व कथन से होती है, जैसा कि उसके दादा सोहन सिंह (अ.सा. -1), उसके दादा के भाई मुकुंद सिंह (अ.सा.-2), उसकी चाची प्रीति (अ.सा. -13) और उसके चाचा संदीप सिंह राजपूत (अ.सा.-14) के साक्ष्य में दर्ज है।

8. उक्त मृत्युपूर्व कथन में सभी साक्षियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतिका ने कमरे से आग की लपटों में बाहर आने के बाद अपीलकर्ता द्वारा अपराध किए जाने की घटना बताई है। इतना ही नहीं, बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित ब.सा.-1-गोलू चौबे ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतिका जब घर से बाहर आई थी, तो वह चिल्ला रही थी कि आरोपी व्यक्तियों ने उसके साथ बलात्कार किया है और उसे आग लगा दी है। श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर (अ.सा. -23) द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत दर्ज मृतिका का बयान भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करता है। सब इंस्पेक्टर अंजना परमार

1 [2007] 2 SCR 555 : (2007) 4 SCC 713 : 2007 INSC 136

2 [2015] 5 SCR 1112 : (2015) 6 SCC 652 : 2015 INSC 392

3 [2013] 14 SCR 297 : (2013) 10 SCC 421 : 2013 INSC 638

(अ.सा. -16) द्वारा दर्ज देहाती नालिशी (एक्स. पी/28) भी उसी तथ्यात्मक स्थिति को बयान करती है।

9. मामले को देखते हुए, हमें नहीं लगता कि विचारण जज और उच्च न्यायालय के समवर्ती आदेशों में कोई त्रुटि है, जिसमें अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 450, 376 (2) (आई), 376 डी, 376 ए और 302 के साथ धारा 34 और पोक्सो की धारा 5 (जी)/6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है।

10. अब जिस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या वर्तमान मामला 'दुर्लभतम मामलों' की श्रेणी में आएगा, ताकि मृत्युदंड की पुष्टि की जा सके या सजा का लघुकरण किया जा सके।

11. हमने वर्तमान अपीलकर्ता के मनोचिकित्सा विभाग, एनएससीबी मेडिकल कॉलेज, जबलपुर, मध्य प्रदेश द्वारा किए गए मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का अवलोकन किया है, साथ ही वरिष्ठ परिवीक्षा और कल्याण अधिकारी, केंद्रीय जेल, भोपाल, मध्य प्रदेश की दिनांक 12.06.2023 की रिपोर्ट और संभागीय अधिकारी, पश्चिमी संभाग/सहायक जेल अधीक्षक, केंद्रीय जेल जबलपुर की दिनांक 10.06.2023 की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया है।

12. उक्त रिपोर्ट में पाया गया है कि जेल में अपीलकर्ता के व्यवहार के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। जेल में उसका आचरण संतोषजनक पाया गया है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि यद्यपि उसे कोई काम नहीं दिया गया है, फिर भी अपीलकर्ता पेड़ लगाने, मंदिर और आस-पास के क्षेत्र की सफाई करने में लगा हुआ है।

13. इस बात पर विचार करते समय कि मृत्युदंड की पुष्टि की जानी चाहिए या नहीं, हमें विभिन्न कारकों पर विचार करना होगा।

14. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता ने 8 वर्ष की छोटी सी उम्र में अपनी मां को खो दिया था और 10 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई को खो दिया था। अपीलकर्ता का पालन-पोषण उसके पिता ने अकेले माता-पिता के रूप में किया था। अपीलकर्ता के अपने पिता, अपनी बहन, जो विवाहित है और अपनी दादी के साथ घनिष्ठ पारिवारिक संबंध हैं। हालांकि, श्री सिंह सही हैं कि अपराध करने के समय अपीलकर्ता की उम्र को अकेले ध्यान में नहीं रखा जा सकता है, हालांकि अपराध करने के समय अपीलकर्ता/आरोपी की उम्र और अन्य कारकों को निश्चित रूप से इस बात पर विचार किया जा सकता है कि मृत्युदंड का लघुकरण किया जाना चाहिए या नहीं।

15. वर्तमान मामले में, यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलकर्ता समाज के सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से आता है। जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है, उसने कम उम्र में ही

अपनी माँ और भाई को खो दिया था। अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। जब उक्त घटना घटी, तब अपीलकर्ता की उम्र 22 वर्ष थी।

16. यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता एक दुर्दांत अपराधी है, जिसे सुधारा नहीं जा सकता। यदि अपीलकर्ता को सुधार का मौका दिया जाए तो उसके सुधरने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

17. इस मामले को देखते हुए, हम पाते हैं कि वर्तमान मामले में मृत्युदंड की पुष्टि उचित नहीं होगी। हालाँकि, साथ ही हम यह भी पाते हैं कि आजीवन कारावास की सामान्य सजा यानी 14 साल की परिहार के साथ कारावास न्याय के उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगा। हमारे विचार से, वर्तमान मामला मध्यम मार्ग में आता है, जैसा कि इस न्यायालय ने कई निर्णयों में निर्धारित किया है, जो इस प्रकार हैं: -

i. स्वामी श्रद्धानंद (2) उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा बनाम कर्नाटक राज्य⁴;

ii. शंकर किसनराव खांडे बनाम महाराष्ट्र राज्य⁵ ;

iii. गांधी डोड्डाबसप्पा उर्फ गांधी बसवराज बनाम। कर्नाटक राज्य⁶ ;

iv. प्रकाश धवल खैरनार (पाटिल) बनाम. महाराष्ट्र राज्य⁷ ;

v. मोहिंदर सिंह बनाम. पंजाब राज्य⁸ ;

vi. मदन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य⁹;

Vii. नवास @ मुलानावास वि. केरल राज्य¹⁰

4 [2008] 11 SCR 93 : (2008) 13 SCC 767 : 2008 INSC 853

5 [2013] 6 SCR 949 : (2013) 5 SCC 546 : 2013 INSC 281

6 [2017] 2 SCR 62 : (2017) 5 SCC 415

7 [2001] Supp. 5 SCR 612 : (2002) 2 SCC 35 : 2001 INSC 606

8 [2013] 3 SCR 90 : (2013) 3 SCC 294 : 2013 INSC 61

9 [2023] 16 SCR 765 : 2023 SCC OnLine SC 1473

10 [2024] 3 SCR 913 : 2024 SCC OnLine SC 315 : 2024 INSC 215

- 18.** इसलिए, हम पाते हैं कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मृत्युदंड को 20 वर्ष की अवधि के लिए बिना किसी परिहार के निश्चित कारावास में लघुकरण किया जाना चाहिए।
- 19.** दोषसिद्धि का आदेश बरकरार रखा गया है, तथापि भारतीय दंड संहिता की धारा 376ए और 302 के तहत दी गई मृत्युदंड की सजा को 20 वर्ष के कठोर कारावास में लघुकरण किया जाता है।
- 20.** अपीलें ऊपर दर्शाई गई सीमा तक स्वीकार की जाती हैं।
21. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निराकृत समझे जायेंगे।

प्रकरण का परिणाम : अपील स्वीकार की गई।

† शीर्षक नोट: अंकित ज्ञान द्वारा तैयार किए गए

अनुवाद- आलोक सोनी